तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन 264/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम भेराराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 29.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
	आदेश	
29.05.2018	पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र बान्दरा पर पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। अप्रार्थी भेराराम उपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत अप्रार्थी भेराराम के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि अप्रार्थी ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 1011/693 रकबा 07.03 बीघा ग्राम अलाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर में से 01.00 बीघा भूमि जो आवेदन के संलग्न नक्शा में दर्शाये स्थल पर कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर अवैध रूप से जिप्सन का खनन किया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन करने पर खसरा संख्या 1011/693 रकबा 07.03 बीघा में से 01.00 बीघा भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थी ने न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र बान्दरा में उपस्थित होकर अपने लिखित जवाब में अंकित किया है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का अवैध खनन नही किया है। यदि कभी भी अवैध खनन पाया जाता है तो वह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध जारी नॉटिस खारिज किया जावे। विवादित खसरा नम्बर 1011/693 रकबा 07.03 बीघा भूमि ग्राम अलाणियों की ढाणी, बान्दरा का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक कवास को साथ में रख कर मौका निरीक्षण करने पर वादग्रस्त भूमि में कृषि से भिन्न कार्य कर अवैध खनन	

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन 264/2017 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम भेराराम**	नम्बर तारीख जो इस तामील हुए
	जिप्सम निकालने के खड्डे, टेक्टरों के आने–जाने के निशानात् पाये गये है। उक्त खड्डे एमपीटी सड़क बाउन्ड्री में पाये गये है। इससे एमपीटी सड़क को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अप्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि में अवैध खनन कर जिप्सम निकालने का कार्य किया है जो कृषि से भिन्न उपयोग अवैध रूप से किया गया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम अलाणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र बान्दरा तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खेत खसरा संख्या 1011/693 रकबा 07.03 बीघा में से 01.00 बीघा भूमि जो आवेदन के संलग्न नक्शा में बरंग लाल रेखाओं से प्रदर्शित है, के खातेदारी अधिकार अप्रार्थी खातेदार भेराराम के सदैव के लिए समाप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करावें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैंसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	1272 31-5-18

Scanned by CamScanner